कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.19(03)शिक्षा–2/2021 जयपुर दिनांक 04.01.2021 द्वारा राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर द्वारा चयनित शिक्षा सेवा के निम्नांकित प्रधानाचार्य–उमावि एवं समकक्ष अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के जिला कार्यालयों में सहायक निदेशक के पद पर राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम –144''क'' के तहत एक वर्ष के लिये उनके नाम के समुख कॉलम सख्या 5 में किये जाने की स्वीकृति की पालना में निम्नांकित अधिकारियों को संबंधित कार्यालय में कार्यग्रहण/कार्यमुक्त किये जाने की अनुमति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	वर्तमान पद	जिला
1	2	3	4	5
1	SUBHASH CHANDER	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL GSSS MANAKSAR 19MKS (211125),HANUMANGARH,SANGARIA	PRINCIPAL & EQUIVALENT	HANUMANGARH
2	MOHANA RAM	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BHIMARLAI GANV (225431), BALOTRA, BARMER	PRINCIPAL & EQUIVALENT	NAGAUR
3	PRASHANT SHARMA	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL GADAJHUMJI (223014), SAGWARA, DUNGARPUR	PRINCIPAL & EQUIVALENT	PRATAPGARH
4	SOHAN LAL	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KALALI PALI RAJASTHAN (221187),ROHAT,PALI	PRINCIPAL & EQUIVALENT	PALI

संबंधित अधिकारी तत्काल ही शाला दर्पण के माध्यम से कार्यग्रहण/कार्यमुक्त होकर समस्त सूचना का इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित करावे।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/मा/संस्था/बी–4/प्रतिनियुक्ति /प्रधानाचार्य/समसा/2021/ दिनांक 04.01.2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 विशिष्ट सहायक, माननीय् शिक्षा राज्य मन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार), प्रांरभिक एवं माध्यमिक शिक्षा,
2 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, जयपुर ।
3 आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर को पत्र दिनांक 04.01.2021
4 उप शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2)विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर ।
5 सम्बधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा ।
6 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड किये
7 संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
8 सम्बधित जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय–माध्यमिक ।
9 सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ।
10 सहायक निदेशक, शाला दर्पण अनुभाग/ओएसी अनुभाग।
11 सम्बधित संस्था प्रधान/कार्मिक
12 रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)